

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-13/न०वि०/विविध-01/2025-

415

दिनांक-29.11.25

नगर पंचायत, लौरिया में प्रकाशित निविदा संख्या Gm/2024/B/5725752 दिनांक-19/12/2024 में किसी विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से डाली गई विशेष शर्त के कारण श्री दिलीप कुमार जयसवाल द्वारा आपत्ति आवेदन उपलब्ध कराया गया था। श्री जयसवाल से प्राप्त आवेदन पर सम्यक विचारोपरांत विभागीय पत्रांक-43 दिनांक-07.01.225 द्वारा उक्त आवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री दिनेश पुरी, बि०न०से० नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लौरिया से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी।

2. उक्त के आलोक में श्री पुरी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-18 दिनांक-09.01.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि श्री दिनेश पुरी, बि०न०से० नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लौरिया द्वारा स्पष्ट रूप से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2024 के नियम-126 (1), नियम-131 (ब) एवं नियम-131 (ब)(i)(छ) का उल्लंघन किया गया है।

3. श्री दिनेश पुरी, बि०न०से० नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लौरिया द्वारा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2024 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निविदा प्रकाशित करने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, के नियम-14 के आलोक में श्री दिनेश पुरी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लौरिया का एक वेतन वृद्धि असंचात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

4. अतः उक्त के आलोक में श्री दिनेश पुरी, बि०न०से० नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लौरिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, के नियम-14 के आलोक में एक वेतन वृद्धि असंचात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजेश कुमार तिवारी),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-13/न०वि०/विविध-01/2025 415 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-29.11.25

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

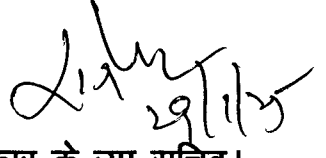
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बैतिया)/श्री दिनेश पुरी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लौरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री पंकज कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।